भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2683
उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

2683. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:
श्री असादुद्दीन औवेसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जारी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अल्पसंख्यक समुदायों के केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को सीमित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि छात्रवृत्ति को सीमित करने से अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुसलमानों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के हजारों छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की संभावनाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना चाहती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति के दौरान प्री-मैट्रिक के प्राप्त, अस्वीकृत और स्वीकृत आवेदनों की संख्या का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र इस योजना के अंतर्गत आते हैं और क्या उन्हें इसमें शामिल किया जाता रहेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामत: बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। योजना के तहत कवरेज को 2022-23 से संशोधित किया गया है और केवल नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए लागू किया गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करता है। यह संशोधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित समान छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ योजना के सामंजस्य के लिए भी किया गया है।

(ङ): 2022-23 के दौरान मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राप्त सत्यापित, अस्वीकृत और अभी सत्यापित किए जाने के लिए बाकी आवेदनों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है।

(च): जी हां।

*****

अनुबंध

"मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2683 दिनांक 22.12.2022 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।			
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना: 2022-23* के दौरान सत्यापित, अस्वीकृत और अभी सत्यापित किए जाने के लिए बाकी आवेदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सत्यापित आवेदनों की संख्या**	**संस्थान/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अभी सत्यापित किए जाने के लिए बाकी आवेदनों की संख्या**
अण्डमान और निकोबार	400	1	1
आंध्र प्रदेश	39,201	1,110	19
असम	56,545	22,036	10,027
बिहार	34,126	13,963	1,311
चंडीगढ़	72	7	-
छत्तीसगढ	1,226	237	24
दिल्ली	3,310	1,134	19
गोवा	224	9	-
गुजरात	18,505	452	-
हरियाणा	6,000	301	46
हिमाचल प्रदेश	478	8	87
जम्मू और कश्मीर	77,069	1,093	-
झारखंड	5,331	443	429
कर्नाटक	1,36,875	2,813	8,644
केरल	1,04,423	661	-
लद्दाख	1,548	16	-
मध्य प्रदेश	36,528	570	-
महाराष्ट्र	1,21,492	1,610	-
मणिपुर	17,399	1,109	1,293
मेघालय	4,496	40	-
मिजोरम	6,450	396	852
नागालैंड	19,046	451	1,797
ओडिशा	6,289	168	25
पुदुचेरी	1,054	12	-
पंजाब	66,963	3,880	-
राजस्थान	52,630	2,493	5,597
सिक्किम	89	3	3
तमिलनाडु	1,07,247	1,004	-
तेलंगाना	50,448	589	18
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	32	4	-
त्रिपुरा	2,425	21	-
उत्तराखंड	1,325	173	3,233
उत्तर प्रदेश	1,81,760	25,907	1,717
पश्चिम बंगाल	2,576	1,668	241
कुल	**11,63,582**	**84,382**	**35,383**

स्रोत: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

* अनंतिम आंकड़ा (19.12.2022 तक)